



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 आश्विन 1939 (श10)
(सं0 पटना 969) पटना, शुक्रवार, 13 अक्टूबर 2017

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

13 अक्टूबर 2017

अधिसूचना सं०-38/2017-राज्य कर (दर)

एस0 ओ0 227, दिनांक 13 अक्टूबर 2017— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 (2017 का बिहार अधिनियम 12) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि परिषद की सिफारिश पर ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, वाणिज्य कर विभाग की अधिसूचना सं० 8/2017-तारीख 29 जून, 2017, राज्य कर (दर) जो बिहार राजपत्र, असाधारण अंक, में एस0 ओ0 79 तारीख 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करते हैं यथा:-

उक्त अधिसूचना में, पैरा 1 के अधीन परंतुक का लोप किया जाएगा।

2. इस अधिसूचना द्वारा यथासंशोधित अधिसूचना सं० 8/2017- राज्य कर (दर) तारीख 29 जून, 2017 में अंतर्विष्ट छूट 31 मार्च, 2018 तक सभी रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को लागू होगी।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-38)]

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

सुजाता चतुर्वेदी,

वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

13 अक्टूबर 2017

एस०ओ० 228, एस०ओ० 227, दिनांक 13 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

[(सं०सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017-38)]
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुजाता चतुर्वेदी,
वाणिज्य-कर आयुक्त-सह-प्रधान सचिव।

*The 13th October 2017***Notification No.-38/2017- State Tax (Rate)**

S.O. 227, dated 13th October 2017— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Governor of Bihar, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Commercial Taxes Department No. 8/2017- State Tax (Rate), dated 29th June, 2017, published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide S.O. 79, dated the 29th June, 2017, namely:-

In the said notification, the proviso under Paragraph 1 shall be omitted.

2. The exemption contained in the notification No 8/2017- State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 as amended by this notification shall apply to all registered persons till the 31st day of March, 2018.

[(File No. Bikri-kar/GST/Vividh-21 /2017-38)]
By the order of Governor of Bihar,
SUJATA CHATURVEDI,
Commissioner-cum-Principal Secretary,
Commercial Taxes Department.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
बिहार गजट (असाधारण) 969-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>